

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2017 /

471

निगरानी भिण्ड/2017/3425

श्री पी.के. निवारी एस.

द्वारा जमा दि. 21-9-17 को

प्रस्तुत

ब्लॉक कोर्ट 21/9/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सावित्री पुत्री श्री दीनदयाल पत्नी स्व०
श्री देवीदयाल ब्राह्मण, निवासी -
मिहोना, वार्ड नं.14, तहसील मिहोना,
जिला भिण्ड (म०प्र०)

— आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुरेश बाबू पुत्र श्री गुरुदयाल
2. रमेश पुत्र श्री गुरुदयाल ब्राह्मण,
निवासी - बंगरा, हाल निवासी
तहसील मिहोना, जिला भिण्ड
(म०प्र०)
3. मध्य प्रदेश शासन

— अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा पारित
श्रीमान् तहसीलदार मिहोना, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक
41 / 2016-17 / अ-6.

माननीय महोदय,


आवेदिका / निगरानीकर्ता निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यहकि, अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा तहसीलदार
मिहोना, जिला भिण्ड के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109 एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - ~~471~~ निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3425

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	